छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 09–01/2015/1/5 (पार्ट 2) नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ0ग0 बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
छत्तीसगढ़।

विषय :– स्वच्छ भारत अभियान– शासकीय कार्यालयों में पीने के पानी एवं स्वच्छ टॉयलेट के संबंध में।

––00––

सामान्य तौर पर प्रत्येक शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों तथा कार्यालय में आने वाले जनसामान्य के लिए पेयजल की व्यवस्था रखी जाती है। किंतु यह अनुभव किया गया है कि इस ओर समुचित ध्यान नहीं दे पाने के कारण शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कभी–कभी प्रभावित होती है। कलेक्टरेट, तहसील कार्यालयों, जनपद पंचायतों/जिला पंचायतों, अस्पतालों आदि में बड़ी संख्या में आमजनों का, अपने कार्यो के संबंध में आना होता है। अतएव इन कार्यालयों के साथ–साथ समस्त कार्यालयों में शुद्ध पेयजल की निरंतरता बनाये रखना अति आवश्यक है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि कार्यालय प्रमुख निरंतर इस ओर ध्यान देकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करावें। यदि वर्तमान व्यवस्था समुचित प्रतीत न हो, तो पेयजल के लिए और अतिरिक्त व्यवस्था भी कराई जावे ।

2/ स्वच्छ भारत अभियान का एक मुख्य घटक **"स्वच्छ शौचालय"** भी है। लगभग सभी कार्यालयों में शौचालय की भी व्यवस्था होती है । किंतु यह देखा गया है कि कार्यालय स्टाफ तथा आमजन के उपयोग में आने वाले शौचालय स्वच्छ स्थिति में नहीं रहते हैं। अतएव कार्यालय प्रमुख इन शौचालयों का समय–समय पर स्वयं निरीक्षण करें तथा शौचालयों का साफ–सुथरा और स्वच्छ रखना सुनिश्चित करावें। इस हेतु दिन में एक या अधिक बार शौचालयों की साफ–सफाई, फिनाईल आदि का प्रयोग कर ऐसा किया जा सकता है ।

3/ प्रभारी सचिव, संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने भ्रमण के दौरान अधीनस्थ कार्यालयों, शालाओं, ऑगनबाड़ी इत्यादि में शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता की स्थिति का समय–समय पर निरीक्षण करें।

(विवेक ढाँड)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

निरंतर.....

पृ. कमांक एफ 09–01/2015/1/5 (पार्ट–2) नया रायपुर, दिनांक 21 मई, 2015

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
5. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग राज्य सूचना आयोग/विद्युत नियामक आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग/युवा आयोग/महिला आयोग/अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग/गो–सेवा आयोग,
9. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
10. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. अवर सचिव, (स्थापना/अधीक्षण) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, नया रायपुर
13. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण,
14. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर
15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, स्टेट डेटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर की ओर छत्तीसगढ़ राज्य शासन की वेबसाईट **cgstate.gov.in** पर जारी निर्देश को अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
16. संचालक, जनसंपर्क । कृपया उक्त अधिसूचना को वेबसाईट **www.cmo.cg.gov.in** में तत्काल अपलोड करवाने का कष्ट करें ।
17. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया उक्त अधिसूचना को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट में तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अरजलाल)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग